न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 24/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः—सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :— दिनांकः— 23.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 30.04.2018 को दोपहर 02:10 बजे मैसर्सः— सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में एक प्लास्टिक खुले मुंह के कट्टे में करीबन 20 किग्रा हल्दी पाउडर (लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से हिलामिलाकर नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा हल्दी पाउडर खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 336 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

यह है कि खरीदशुदा 2 किग्रा हल्दी पाउडर को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—1895 गोंद से चिपकाकर डिब्बो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बांधकर डिब्बो को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.05.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 02.05.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./729/एक्ट/2018/827 दिनांक 15.05.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना जांच में मानक स्तर के अनुरूप पाया गया है। परन्तु विभाग के नियम 2.3.14(15) **Prohibition and Restrictions on sales** नियम 2011 का उल्लंघन माना गया है। प्रार्थी को इस नियम की जानकारी नहीं थी। अब भविष्य में इसकी पुनरावर्ति नहीं होगी। अतः प्रथम बार कारित उल्लंघन के लिये मुझे माफ करने का श्रम करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./729/एक्ट/2018/827 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जो कि नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 (खुले मसाले बेचना) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) का विक्रय किये जाने से नियम 2.3.14(15) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुले मसाले बेचना) पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (V) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः–सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा पर 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 23.01.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 304-06

दिनांकः– 06.02.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री कल्याण सहाय खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः–सुरेश एण्ड कम्पनी, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official